

**कार्यालय कार्यपालन अभियंता,
लो.नि.वि.सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.)**

ज्ञाप क्र. 5062 / शिल्प / जबरा नाला / 2020
प्रति,

रायपुर, दिनांक
18/11/2020

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)



विषय :- Diversion of forest land non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Construction of high level bridge across Kajal River on Jawarra Road, area-1.701 ha-Regarding
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./जी./5038/धमतरी दिनांक 21.10.2020

—000—

व. म. अ.
धमतरी (छ.ग.)

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत नगरी से जबरा मार्ग पर काजल नदी पर पुल निर्माण का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में बतायी गई कमियों का निराकरण के तहत बिन्दु क्र.-4 के लिये कलेक्टर कार्यालय में एन.आई.सी. शाखा में एफ.आर.ए सर्टिफिकेट को अपलोड करा दिया गया है तथा बिन्दु क्र.-2 के तहत वचन पत्र एवं आवेदक विभाग का मांग पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

सादर सूचनार्थ।

सहपत्र- 0

कार्यपालन अभियंता,
लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर

पृ. क्र. 5063 / शिल्प / जबरा नाला / 2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक
18/11/2020

अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग धमतरी की ओर
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र - 0

कार्यपालन अभियंता,
लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर